

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 08 दिसम्बर 2016

विषय:- जनपद बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग (एस0एच0-76) किमी0 6.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/90/2016/एफसी/341, दिनांक 20-10-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां करते हुये संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्तक में उक्त आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1151/विजनौर/20898/2016/यूपी-160, दिनांक 29 नवम्बर, 2016 शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 29-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव एवं सी0डी0 की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-2705(1)/14-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।